अध्याय – II मानव संसाधन एंव प्रशिक्षण

2.1 संसाधन सहायता

मनरेगा कार्यकारी दिशा निर्देश के कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इस योजना के सहज क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम पदाधिकारी सहित आवश्यक सहायक कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। कार्यक्रम पदाधिकारी के उत्तरदायित्वों का वहन जब प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.) द्वारा किया जाता है तो इन परिस्थितियों में एक अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। आगे, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित (जुलाई 2011) किया गया कि पंचायत में गंभीर विषयों के संचालन हेतु पंचायत विकास पदाधिकारी (पं.वि.प.) की नियुक्ति की जा सकती है। फिर भी, कार्यक्रम पदाधिकारी के 20 प्रतिशत पद रिक्त थे एवं उनके कर्तव्यों का निष्पादन प्र.वि.प. द्वारा किया जा रहा था जो पहले से ही कार्य के अत्यधिक बोझ से दबे हुए थे। परिणाम स्वरूप कार्यों के अनुश्रवण में कमी एवं मस्टर रौल के समुचित संधारण एवं सत्यापन में कमियाँ पाई गई।

आगे कार्यकारी दिशा निर्देश के कंडिका 3.1.1 में यह भी उल्लेखित है कि मनरेगा के क्रियान्वयन मे ग्राम पंचायत की अहम भूमिका के आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोजगार गारंटी सहायक (रो0गा0स0) या ग्राम रोजगार सेवक, 10 ग्राम पंचायतों हेतु एक कनीय अभियंता (क0अ0) एवं आठ ग्राम पंचायतों हेतु एक पंचायत तकनीकी सहायक (पं0त0स0) की नियुक्ति उचित होगी। कार्यें के प्राक्कलन एवं मापी में सहायता हेतु राज्य सरकार, जिला एवं प्रखंड स्तर पर मान्यता प्राप्त अभियंताओं का पैनल भी गठित कर सकती है। लेखा परीक्षा में जांच के दौरान यह पाया गया कि क0अ0 व पं0त0स0 क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 43 प्रतिशत तक कम कार्यरत थे एवं मान्यता प्राप्त अभियंताओ को कार्यो के तकनीकी सहायता हेतु सूचीबद्ध नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप क0अ0 द्वारा कार्यो का कम पर्यवेक्षण किया गया, बिना मापी के भुगतान किया गया एवं कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

राज्य सरकार द्वारा योजना के गुणवत्ता एवं खर्च को प्रभावी बनाने को ध्यान में रखकर राज्य एवं जिला स्तर पर योजना, खाका, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं विभिन्न सूत्रपातों का गुणवतापूर्ण अंकेक्षण तथा साथ ही प्रशिक्षण में सहायता के उद्देश्य से तकनीकी संसाधन सहायता समूहो की नियुक्ति पर विचार कर सकती थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी दिशा निर्देश की कंडिका संख्या 13.3 में की गई परिकल्पना के अनुसार, मनरेगा के सफल क्रियान्वयन में सहायता हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर तकनीकी संसाधन समूह (त0सं0स0) का गठन नही किया गया था।

आगे, अभिलेखों के जांच के दौरान यह पाया कि चयनित जिलों में 31 मार्च 2012 को कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखापाल एवं पंचायत रोजगार सेवक के क्रमशः 42 प्रतिशत, 32 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत तक पद रिक्त थे जब कि पं0वि0प0 का पद राज्य सरकार द्वारा अभी तक सृजित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप मुख्य अभिलेखो का असंधारण, कार्य के सम्पादन में विलंब, योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ एवं प्रबंधन सूचना तंत्र में अपूर्ण प्रविष्टियाँ दृष्टिगोचर हुई। (**परिशिष्ट–II)**

कार्यबल की कमी के कारण मनरेगा का समुचित क्रियान्वयन प्रभावित हुआ एवं इस महत्वाकांक्षी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति पूर्ण रूपेण नहीं हुई।

2.2 प्रशिक्षण

कार्यकारी दिशा निर्देश के कंडिका सं0 3.3.1 के अनुसार कर्मियों के कुशलता का आकलन एवं ज्ञान सम्बन्धी दूरियों को पाटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए समुचित प्रणाली स्थापित की जानी थी। राज्य स्तर पर एक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना था। प्रभावी योजना, कार्य की मापी, सार्वजनिक प्रकटीकरण, सामाजिक अंकेक्षण एवं सूचना के अधिकार के उपयोग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रमुखता दी जानी थी।

राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण कैलेडर तैयार नही किया गया था एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मियों को एक माह का प्रशिक्षण (नवम्बर 2007) के अलावे मनरेगा कर्मियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

अनुसंशाएं

- पं0रो0से0 को योजना से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण एवं मनरेगा का कार्यकारी अभिकर्त्ता का कार्य दिया गया है एवं इसीलिए पं0वि0प0 की नियुक्ति की आवश्यकता है। सभी संवर्गो के रिक्त पदों को भरने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा कर्मियों, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर के कर्मियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देने हेतु प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए।